राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक सं.24(3)(12)स्था / मंत्रा / अभि. / 2022 / 8566-71 दिनांक :– 20/07/22

प्रेषितिः–

अभियोजन विभाग को आवंटित अभ्यर्थी
(संलग्न सूची अनुसार)

विषयः– राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा–2018 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजो के सत्यापन एवं कॉउंसलिंग के संबंध में।

सन्दर्भः– प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु. / अनु.–3 / 2022 जयपुर, दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु. / अनु.–3 / 2022 जयपुर, दिंनाक 13.07.2022 एंव परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु. / अनु.–3 / 2020 पार्ट जयपुर दिंनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा–2018 में चयनित इस विभाग में आंवटित 9 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन एंव नियुक्ति प्रकिया अपनाई जानी है। विभाग में शीघ्र लिपिक के रिक्त पदो का विवरण कॉउंसलिंग के दौरान अवगत कराया जावेगा।

अतः राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत शीघ्र लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के Documents Verification/Counseling का कार्य **दिनांक 25.07.2022 को निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर** में किया जावेगा। जिसके लिए Documents Verification / Counseling का कार्यक्रम निम्नांनुसार है–

क्र.सं.	काउंसलिंग की दिनांक	मैरिट संख्या	विशेष विवरण
1.	25-07-2022 (10:00 AM TO 11:00 AM)	MERIT NO. 223	सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यकता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं पति–पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो
2.	25-07-2022 (11:30 AM TO 12:30 AM)	MERIT NO. 187, 210, 215, 241, 258, 613, 1294, 1736	वरियता अनुसार

निर्देशानुसार अभियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का Documents Verification / Counseling का कार्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सम्पन किया जावेगा :–

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यकता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं पति–पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो को वरियता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जावेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिले का आवंटन किया जावेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति–पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिस जिले में पदस्थापित है को उस जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावेगा।
4. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों मे से कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो / अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा पति–पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जावेगी।

5. Documents Verification / Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार का यात्रा किराया व कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को Documents Verification / Counseling हेतु उपस्थित नहीं होता है तथा तत्समय कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर उनको जिला आवंटन करने में वरियता सबसे अंत में दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।
7. चयनित सभी अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक पत्र क्रमांक 8381–82 दिनांक 18.07.2022 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करने है, दस्तावेजो एंव शपथ पत्रों के अपूर्ण होने की स्थिति में जिले का आवंटन नहीं किया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। उक्त दिशा निर्देश हेतु विभाग की वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन करें।
8. Documents Verification / Counseling में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड–19 की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काउंसलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी इसका पालना नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
9. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर दिंनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार Documents Verification / Counseling का कार्य नियमानुसार संपादित किया जावेगा। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जावेगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला/जिले में स्थान में मिले अर्थात किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिला/जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हो।
10. काउंसलिंग में उपस्थिति के दौरान विभाग द्वारा जिला आवंटन के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्ते भी नियत की जा सकेगी।

शीघ्र लिपिक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाए विभागीय वेबसाईट पर ही अपलोड की जावेगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रकियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाईट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग का
पत्र क्रंमाक प.2(2)प्र.सु./अनु.–3/2022
जयपुर, दिंनाक 13.07.2022

-sd-
(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विभागीय कमेटी, अभियोजन निदेशालय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–03) विभाग, राज0 जयपुर।
4. पंजीयक, शासन सचिवालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियो के प्रवेश–पत्र जारी करने का श्रम करावे।
5. स्टोर कीपर, अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर को कोविड–19 के रोकथाम के अनुसार कार्यवाही हेतु।
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

(1)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांकः प.2(2) प्र.सु. / अनु.–3 / 2022 जयपुर, दिनांकः 13.07.2022

निदेशक अभियोजन

विभाग जयपुर

विषयः–शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के चयनित अभ्यर्थियों के विभाग / नियुक्ति अधिकारी आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके विभाग (नियुक्ति अधिकारी) को आवंटित 9 अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर नियुक्ति संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों की नियुक्ति / पदस्थापन से पूर्व कृपया निम्न बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे :–

1. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी ।
2. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु प्राप्त करने के लिए आपके विभाग के किसी कर्मचारी को Authority Letter तथा उनकी आई.डी. की फोटो प्रति के साथ व्यक्तिशः इस विभाग मे भिजवाया जावें।
3. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों को जिस कार्यालय में नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यग्रहण (जाईनिंग रिपोर्ट) करना हो उस कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (Computer/typing सबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी / विकलांग आदि) के सबंध में तथा अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। सभी दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (Certified/Self Attested Documents) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें।
4. ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो ।
5. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के नाम / उपनाम / विवाह संबंधी शपथ पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं संतान संबंधी शपथ–पत्र [कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा] निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति करावें।
6. गर्भवती महिला अभ्यर्थी के लिये कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
7. स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के संबंध में नियम संबंधी (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999) स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन हेतु कार्मिक (क–2) विभाग से सीधे ही पत्र व्यवहार करें।
9. अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों के मूल आवेदन, दस्तावेजों एवं कम्प्यूटराईज्ड Attestation form मे कमी / त्रुटि आदि पाये जाने पर सीधे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से पत्र व्यवहार करें

क.पृ.उ.

10. अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थी के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 की पालना में पूर्व में स्वीकृत 1 प्रतिशत पद के अतिरिक्त अति. पिछड़ा वर्ग के 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित किये गये है जिनकी सूचना आप द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है, के विरूद्ध ही इन 4 प्रतिशत अभ्यर्थियों का पदस्थापन किया जावे।
11. नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियुक्ति संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों (Terms and Conditions of appointment) को सम्मिलित करें।
12. नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात उक्त आदेशों को संकलित कर इकजाई सूचना इस विभाग को व एक प्रति सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवायें। अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण की सूचना एवं यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार नियत अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार नियुक्ति निरस्त कर मूल आवेदन पत्र इस विभाग को लौटाए।
13. आवंटित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी के स्तर से प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 18. 05.2020 (https://ard.rajasthan.gov.in/content/raj/ardnew/en/Circulars/Group3Circulars.html) जारी किया गया है। अतः उक्त परिपत्र के अनुसार ही, In-person Counseling के माध्यम से प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान का निर्धारण अपने स्तर पर सम्पन्न कर अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करें।
14. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(04)कार्मिक/क–5/2017 पार्ट–III दिनांक 05.04.2021 के बिंदु संख्या 9 एवं 10 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराई जावे–
    9. भर्ती एजेंसी से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापन, काउंसलिंग एवं अन्य सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूर्ण की जाकर चयन सूची प्राप्त होने के 04 सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से नियुक्ति आदेश जारी किये जाऐंगे। वर्तमान समय में मेल, विभागीय वेबसाइट एवं अन्य संचार साधनों के माध्यम से सूचनाएं अविलंब चयनित अभ्यर्थी को उपलब्ध हो जाती हैं अतः नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण हेतु 03 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाए।
    10. नियुक्ति आदेश में दी गई कार्यग्रहण तिथि समाप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा 04 सप्ताह के अंदर सभी कार्यालयाध्यक्षों से कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थी की सूचना प्राप्त कर ली जाए।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ताकि अभ्यर्थी को नियुक्ति शीघ्र मिल सके।

संलग्न –सूची

भवदीया,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव..।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।

शासन उप सचिव

निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर को शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु 09 आवंटित अभ्यर्थियों की सूची

SLNO	RANK	ROLLNO	Candidate Name	Father Name	GENDER	Category	H_CAT	Sel_Cat	Alloted Department
1	187	151500	AMAN SHARMA	SUBHASH SHARMA	Male	GEN-EWS		A_GEN	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
2	210	153470	PREM CHAND PRAJAPAT	HARI SINGH PRAJAPAT	Male	OBC		A_GEN	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
3	215	198887	RANJEET KUMAR	RAMESH KUMAR	Male	OBC		A_GEN	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
4	223	160713	SURBHI KUMARI GARG	NIRANJAN LAL GARG	Female	GEN-EWS		A_GEN	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
5	241	166634	SAHIL SONI	CHITRANJAN SONI	Male	OBC		A_GEN	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
6	258	113756	DHANNA RAM GURJAR	HUKMA RAM GURJAR	Male	MBC		A_GEN	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
7	613	169253	RITISH SWAMI	HARISH KUMAR SWAMI	Male	OBC		A_OBC	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
8	1294	125890	MOTI LAL MINA	MALKHAN SINGH MINA	Male	ST		A_ST	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर
9	1736	177898	PRIYANKA MEERWAL	PURAN MAL	Female	SC		A_SC	निदेशक अभियोजन विभाग जयपुर